फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. हसमत अली पुत्र मुनीर खां जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा, तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान ———————————————————— वादी

बनाम

1. अब्दुल हमीद खां | पिसरान मुनीर खां
2. मौहम्मद जफर अली |
3. इलियास पुत्र खुर्शीद अहमद
4. कायनात खां पुत्री खुर्शीद अहमद
5. फातिमा पुत्री मुनीर खां
6. फारूख खान पुत्र खुर्शीद अहमद
7. शबनम पुत्री खुर्शीद अहमद
8. सईदन बेवा खुर्शीद अहमद
9. सलीमन बानो पुत्री मुनीर खां
10. साईदा पुत्री मुनीर खां
11. सोहा खान पुत्री खुर्शीद अहमद

| जाति सभी गद्दी निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

12. तहसीलदार, तहसील सूरौठ, जिला करौली (लैण्ड होल्डर)
13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा महूखास, हिण्डौन सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा, **मुकदमा नं0 18 / 2024**

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ का वादी हसमत अली पुत्र मुनीर खॉ जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 814/2 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ का प्रतिवादीगण अब्दुल हमीद खॉ पुत्र मनीर खॉ हिस्सा 571/1950, इलियास पुत्र खुर्शीद अहमद हि0 19/390, कायनात खान पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, फातिमा पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925, फारूख खान पुत्र खुर्शीद अहमद हि0 19/390, मुहम्मद जफर अली पुत्र मुनीर खॉ हि0 571/1950, शबनम पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सईदन पत्नि स्व0 खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सलीमन बानो पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925, सोहा खान पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सईदा पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925 जातियान गद्दी निवासीयान गद्दीपुरा तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें, प्रतिवादीगण भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 15/1/26

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिटी जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 18/2024 तारीख रजू:– 08.02.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हसमत अली पुत्र मुनीर खां जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा, तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. अब्दुल हमीद खां | पिसरान | जाति सभी गद्दी निवासी गद्दीपुरा
2. मौहम्मद जफर अली | मुनीर खां
3. इलियास पुत्र खुर्शीद अहमद | तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
4. कायनात खां पुत्री खुर्शीद अहमद
5. फातिमा पुत्री मुनीर खां
6. फारूख खान पुत्र खुर्शीद अहमद
7. शबनम पुत्री खुर्शीद अहमद
8. सईदन बेवा खुर्शीद अहमद
9. सलिमन बानो पुत्री मुनीर खां
10. साईदा पुत्री मुनीर खां
11. सोहा खान पुत्री खुर्शीद अहमद
12. तहसीलदार, तहसील सूरौठ, जिला करौली (लैण्ड होल्डर)
13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा महूखास, हिण्डौन सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक :– 15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.08.2025 को दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 814 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ में वादी हसमतअली पुत्र मुनीर खॉ जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

8/35 भाग का सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी सं0 1 ता 11 मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं। तहसीलदार तहसील सूरौठ को 500/–रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये कि आप उक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर उक्त आराजीयात का मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार पक्षकारान के हिस्सानुसार विधिवत रूप से अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें।

मुताविक आदेश तहसीलदार (भू–अभि0) सूरौठ के पत्रांक भू.अ./2025/2446 दिनांक 13.11.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ वादी हसमत अली पुत्र मुनीर खॉ जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 814/2 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ प्रतिवादीगण अब्दुल हमीद खॉ पुत्र मनीर खॉ हिस्सा 571/1950, इलियास पुत्र खुर्शीद अहमद हि0 19/390, कायनात खान पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, फातिमा पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925, फारूख खान पुत्र खुर्शीद अहमद हि0 19/390, मुहम्मद जफर अली पुत्र मुनीर खॉ हि0 571/1950, शबनम पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सईदन पत्नि स्व0 खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सलीमन बानो पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925, सोहा खान पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सईदा पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925 जातियान गद्दी सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतीत होता है। यदि प्रतिवादीगण को उक्त बंटवारा से कोई आपत्ति होती तो वे न्यायालय में या बंटवारा स्कीम तैयार करते

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

समय तहसीलदार सूरौठ के समक्ष उपस्थित होते। इसलिए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ का वादी हसमत अली पुत्र मुनीर खॉ जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 814/2 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ का प्रतिवादीगण अब्दुल हमीद खॉ पुत्र मनीर खॉ हिस्सा 571/1950, इलियास पुत्र खुर्शीद अहमद हि0 19/390, कायनात खान पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, फातिमा पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925, फारूख खान पुत्र खुर्शीद अहमद हि0 19/390, मुहम्मद जफर अली पुत्र मुनीर खॉ हि0 571/1950, शबनम पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सईदन पत्नि स्व0 खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सलीमन बानो पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925, सोहा खान पुत्री खुर्शीद अहमद हि0 19/390, सईदा पुत्री मुनीर खॉ हि0 119/2925 जातियान गद्दी निवासीयान गद्दीपुरा तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें, प्रतिवादीगण भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 15/1/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी करौली